राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 35 / 2022

दायर तारीख 09.06.2022

अनवान्

1. फोरी पुत्री मोहन पत्नि सत्यनारायण जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी हाल बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राधू पुत्र मोहन जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राधी पुत्री मोहन पत्नि भोजा जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रामसुखी पुत्री मोहन पत्नि अमरलाल जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........वादीगण

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति लक्षकार उम्र बालिग व्यवसाय व्यापार निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कान्ता पुत्री नोला पत्नि योगेश जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. घनश्याम पुत्र नोला जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. चन्दा पुत्री गोपाल पत्नि किशना जाति अहीर उम्र बालिग निवासी काटुण्डा मोड तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
5. जानी पत्नि नोला जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. नीलू पुत्री नोला पत्नि अनिल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्री तिलस्वां महादेव मूर्ति नाबालिग मार्फत तिलस्वा महोदव मन्दिर ट्रस्ट तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री सुनील कुमार बाकलीवाल – अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 5, 6

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/02/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1–3 जा0दी0 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तिलस्वा प०ह० तिलस्वा तहसील बिजौलिया में स्थित कृषि खाते की अविभाज्य कृषि भूमि ख0न0 455 रकबा 0.2347 किस्म बारानी प्रथम वादीगण एवम प्रतिवादीया न० एक को छोड़कर शेष सह खातेदारान की वर्तमान राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हिस्से अनुसार स्थित है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादग्रस्त जायदाद को लेकर वादीगण एवम दर्ज खातेदारान के बीच कब्जे एवम हिस्सो को लेकर कोई विवाद नहीं है। वादग्रस्त जायदाद के सह खातेदारान अपनी आपसी समझ से उनके दर्ज हिस्से अनुसार जो हिस्सा उनका बनता है मोके पर बैठे हुये है। प्रतिवादीया शान्ती देवी जो कि न तो वादग्रस्त जायदाद की सह खातेदार है न ही उसका कोई कब्जा वादग्रस्त जायदाद के किसी हिस्से व रकबे पर है। प्रतिवादीया शान्ती देवी को सह खातेदारान मे से वादग्रस्त जायदाद का कोई रकबा अथवा हिस्सा किसी ने विक्रय नही किया हुआ है न ही किसी अनुबन्ध के तहत वादग्रस्त जायदाद पर सह खातेदारान मे से किसी ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर अपने अवेध निर्माण का विस्तार करने के लिए शान्ती देवी को उपलब्ध करवाया है। प्रतिवादीया शान्ती देवी ने वादग्रस्त जायदाद के पूर्वी दिशा में स्थित आराजी खसरा न0 458 के पश्चिमी दक्षिणी कौने मे रास्ते की भूमि को छोडकर निर्माण कार्य 15 दिन पूर्व अर्थात दिनांक 20–05–2022 को प्रारम्भ किया। शनैः शनै प्रतिवादीया शान्ती देवी ने पश्चिमी दिशा में जहा वादीगण व उसके सहखातेदारान के खाते की भूमि ख०न० 455 की पूर्वी सीमा में करीब 10 फीट अन्दर तक प्रवेश करते हुये कुछ दिन पूर्व नीव खुदवा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रतिवादीया शान्ती देवी 10 X 27 फीट का अपना अवैध निर्माण ख0न0 455 में करवाना जारी कर रखा है। जबकि प्रतिवादीया शान्ती देवी को वादीगण व उसके सह खातेदारान के खाते व कब्जे की भूमि में निर्माण कराने का अधिकार नहीं है। वादीगण जो कि प्रतिवादीया शान्ती देवी के अवैध निर्माण से प्रभावित है क्योकि वादीगण सह खातेदारान की आपसी सहमति से उसी स्थान पर अविभाज्य कृषि भूमि के उस हिस्से पर बैठे हुये है वादियान ने प्रतिवादीया शान्ती देवी को खसरा संख्या 455 में निर्माण कार्य बन्द करने को कहा तो उसके द्वारा निर्माण कार्य बन्द करने से इन्कार कर दिया एवम धमकी दी कि यदि वादीगण ने प्रतिवादीया शान्ती देवी को उसकी इच्छानुसार चलाये जा रहे निर्माण को रोका और निर्माण को गिरवाया तो वह उन्हें झूठे अपराधिक मामले में फसा गम्भीर मामले के तहत जेल भिजवा अपना निर्माण कार्य करवायगी क्योकि उसकी उपर तक पहुंच है। वह अपना किसी भी स्थिती में निर्माण कार्य बन्द नहीं करेगी। प्रतिवादीया शान्ती देवी ने कुछ किराये के व्यक्ति को रख रखा है जो वादीगण को उनके कब्जे वाली भूमि से शान्ति देवी प्रतिवादीया का काम रूकवाने का प्रयास करने पर भुजबल व पाशविक बल का उपयोग कर सकते है व निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिये जाने पर वादग्रस्त जायदाद के उपयोग से खातेदार से वंचित हो जायेगे व शान्ती देवी अतिक्रमी को बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त जायदाद के उपयोग व कब्जे का अधिकार मिल जायेगा जिससे न केवल विधि की अवज्ञा होगी अपितु वास्तविक भूमि के हकदार एवम खातेदार वादग्रस्त जायदाद के उपयोग से तंचित हो जायेगी जिन्हे प्रतिवादीया शान्ती देवी के निर्माण को हटवाने व कब्जा प्राप्त करने मे अनावश्यक लम्बी मुकदमे बाजी व अशोधनीय आर्थिक हानी का सामना करना पड़ेगा। वादीगण प्रतिवादीया शान्ती देवी द्वारा ख0न0 455 मे चलाये जा रहे अवेध निर्माण को रुकवाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है क्योकि इसके अतिरिक्त वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प प्रतिवादीया शान्ती देवी के अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए नहीं बचे है। प्रतिवादीगण सख्या 2 से 7 तक को वादग्रस्त जायदाद में सह खातेदान होने व उनके द्वारा वादीयान के कहने पर वाद लाने में रूची नहीं दिखाने से उन्हे औपचारिक प्रतिवादीगण बनाया गया है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक के विरुद्ध उक्त वाद मे कोई अनुतोष नहीं चाहते है सह खातेदारी पन्नी पत्नि मोहन की मृत्यु हो गयी है जिसके उत्तराधिकारी वादीगण है।

वादीगण अनुतोष चाहते है कि मौजा तिलस्वा प०ह० तिलस्वा तहसील बिजोलिया स्थित वादग्रस्त कृषि खाते की भूमि ख0न0 455 रकबा 0.2347 हैक्टेयर पर प्रतिवादीया क्रम एक द्वारा अतिक्रमण कर चलाये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाने, प्रतिवादीयर को जबरन अतिचार करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता सुनिल बाकलीवाल ने अन्डर टेकिंग (UT) ली तथा विपक्षी संख्या 1 व 7 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में वादपत्र के साथ ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां की नकल जमाबन्दी वत 2075 से 2078, खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी(प्रतिलिपि) की प्रति प्रस्तुत की हैं

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

पत्रावली में वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया ।

बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष मौजा तिलस्वा प०ह० तिलस्वा तहसील बिजोलिया स्थित वादग्रस्त कृषि खाते की भूमि ख0न0 455 रकबा 0.2347 हैक्टेयर पर प्रतिवादीया क्रम एक द्वारा अतिक्रमण कर चलाये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाने, प्रतिवादीयर को जबरन अतिचार करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना चाहा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा तिलस्वा प०ह० तिलस्वा तहसील बिजोलिया स्थित वादग्रस्त कृषि खाते की भूमि ख0न0 455 रकबा 0.2347 हैक्टेयर पर प्रतिवादीया क्रम एक को जबरन अतिचार नहीं करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 19 / 02 /2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 35 / 2022 **दायर तारीख 09.06.2022**

अनवान्

1. फोरी पुत्री मोहन पत्नि सत्यनारायण जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी हाल बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राधू पुत्र मोहन जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राधी पुत्री मोहन पत्नि भोजा जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रामसुखी पुत्री मोहन पत्नि अमरलाल जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.................डिक्रीदार

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति लक्षकार उम्र बालिग व्यवसाय व्यापार निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कान्ता पुत्री नोला पत्नि योगेश जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. घनश्याम पुत्र नोला जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. चन्दा पुत्री गोपाल पत्नि किशना जाति अहीर उम्र बालिग निवासी काटुण्डा मोड तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
5. जानी पत्नि नोला जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. नीलू पुत्री नोला पत्नि अनिल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्री तिलस्वां महादेव मूर्ति नाबालिग मार्फत तिलस्वा महोदव मन्दिर ट्रस्ट तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.................मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 19 / 02 / 2026

डिक्री दिनांक : 19 / 02 / 2026

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 5, 6 की ओर से श्री सुनील कुमार बाकलीवाल को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा तिलस्वा प०ह० तिलस्वा तहसील बिजोलिया स्थित वादग्रस्त कृषि खाते की भूमि ख0न0 455 रकबा 0. 2347 हैक्टेयर पर प्रतिवादीया क्रम एक को जबरन अतिचार नहीं करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की गई । खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ